समाचार

कोविड–19 के प्रति सघन जनजागरूकता अभियान चला रहा निगम

(महापौर एवं आयुक्त ने हरी झण्डी दिखाकर जनजागरूकता वाहन को किया रवाना)

कोरबा 15 अक्टूबर 2020 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु निगम क्षेत्र में सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने हरी झण्डी दिखाकर जनजागरूकता वाहन को रवाना किया तथा पूर्व में किए जा रहे जनजागरूकता कार्यो के साथ–साथ बाजारों, मुख्य मार्गो, भीड़भाड वाले क्षेत्रों, आवासीय व व्यवसायिक स्थलों में सघन जनजागरूकता कार्य संचालित करने के निर्देश दिए।

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचने, आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु निगम द्वारा पूर्व से ही आमलोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, इस कार्य में और अधिक तेजी लाने, जनजागरूकता कार्यो को विशेष अभियान के रूप में संचालित करने तथा इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं व आमनागरिकों को जोड़ने के लिए निगम द्वारा सघन जनजागरूकता का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया है। इस हेतु निगम द्वारा जनजागरूकता वाहन तैयार कर स्वयेसंवी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। जागरूकता वाहन के साथ टीम निगम के सभी बाजारों, व्यवसायिक व आवासीय क्षेत्रों, मुख्य मार्गो, चौक–चौराहों तथा अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों, वार्ड व बस्तियों में पहुंचकर आमलोगों को कोविड–19 से बचाव व सुरक्षा हेतु उन्हें जागरूक करने का कार्य करेगी। इसके साथ ही विभिन्न श्रब्य व दृश्य माध्यमों से बाजारों, चौक–चौराहों पर जनजागरूकता से संबंधित प्रचार प्रसार का कार्य निगम द्वारा कराया जाएगा।

महापौर ने की अपील– महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोविड–19 के सभी प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें। समय–समय पर अपने हाथ साबुन से धोएं तथा हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें। अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले एवं अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, मास्क को बार–बार हाथों से न छुएं, दुकानों, संस्थानों, बाजारों, कार्यालयों तथा अन्य भीड़भाड वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा आपस में दो गज की दूरी बनाकर रखें। चौपाटी, खानपान के ठेलों, गुमठियों तथा अन्य खानपान के स्थलों में खुले तौर पर मास्क उतारकर खाद्य पदार्थो का सेवन न करें, खाद्य पदार्थो को पैक कराकर घर ले जाएं तथा उनका घर पर सेवन करें। पान, गुटका, सिगरेट आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर न करें, पान गुटका खाकर सड़क पर न थूकें, दूसरे व्यक्तियों को भी इसकी प्रेरणा दें। कोविड–19 के प्रोटोकाल के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा लगातार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जा रही है, अतः अर्थदण्ड से बचने, कोविड–19 के संक्रमण को रोकने तथा खुद की सुरक्षा के लिए प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें।